


मध्य प्रदेश शासन  
आयुष विभाग,  
वल्लभ भवन क्रमांक-3, चतुर्थ तल  
मंत्रालय भोपाल

// आदेश //

भोपाल दिनांक 07/03/2019

क्रमांक/855 /3901/2018/1/59 : राज्य शासन द्वारा इस विभाग के आदेश क्रमांक 766/3901/2018/1/59, दिनांक 02.03.2019 के पैज-2 के कालम 2 एवं 4 में किये गये उल्लेख को तत्काल प्रभाव से विलोपित करता है।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(डॉ0एस.एस.कुमरे)  
उप सचिव

म. प्र. शासन, आयुष विभाग  
भोपाल, दिनांक 07/03/2018

पृष्ठांकन क्रमांक/856/3901/2018/1/59  
प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, आयुष विभाग।
- 2- आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3- संबंधित संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन इंदौर/जबलपुर/भोपाल/स्वालिखर। समयमान वेतनमान की कार्योत्तर स्वीकृति के प्रकरणों में जिन अधिकारियों को समयमान वेतनमान पात्रता दिनांक को स्वीकृत नहीं किया जाकर पश्चातवर्ती दिनांक से स्वीकृत किया गया है उनसे उक्त अवधि में किये गये अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर अवगत कराने का कष्ट करें।
- 4- उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश को विभागीय बेवसाइड पर प्रदशित करने हेतु।
- 5- संभागीय आयुष अधिकारी, इंदौर/जबलपुर/भोपाल/स्वालिखर।
- 6- जिला आयुष अधिकारी इंदौर, अनूपपुर, भोपाल, स्वालिखर। आदेश की एक प्रति संबंधित को अनिवार्य रूप से तामील कराने बावत।
- 7- संबंधित डॉ.....द्वारा जिला आयुष अधिकारी जिला-----
- 8- आदेश फाइल।

  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग